संख्या-144/2018/3499/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-17(टी)/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर,2018

विषय-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **लोनी-गाजियाबाद**के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3217/तीन/वि-4-/भूमि/भवन/**लोनी**/2015-16, दिनांक 03-10-2018 के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्थापित किये गये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **लोनी-गाजियाबाद** के भवन निर्माण हेतु सामान्य मृदा के लिए शासनादेश संख्या-1201/89-व्या0शि0-2013-5(पी)/2010, दिनांक 29-03-2013 द्वारा निर्धारित एवं शासनादेश संख्या-46/2015/171/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2015-5(पी)/2010, दिनांक 11-03-2015 द्वारा पुनरीक्षित मानकीकृत लागत रूपये 627.51 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-267/2016/2714/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-17(टी)/2016,दिनांक 02-09-2016 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) स्वीकृत निर्गत की गयी का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गये पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष मूल्यांकित लागत रूपये 739.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए मूल्यांकित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 539.10 लाख में से रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश संख्या-267/2016/2714/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-17(टी)/2016,दिनांक 02-09-2016 में निर्धारित शर्तो के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशालय द्वारा समय से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को स्वीकृत लागत में यथा समय पूरा कराया जायेगा ताकि टाईम/ कास्ट ओवर रन न होने पाये

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां ,मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशालय का होगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाया इसके उपरान्त पुनरीक्षण के आधार पर कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंक खाता में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) कार्यदायी संस्था को नियमानुसार निर्धारित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज दिया जायेगा तथा लेबर सेस की निर्धारित धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण निदेशालय द्वारा 02 समान किश्तो में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(11) पुनरीक्षित आगणन का गठन वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर किया गया है,जिसमें वर्क डन कार्यो की लागत वर्ष 2017 की अनुसूची दरों एर्व टू बी डन के कार्यो की लागत वर्ष 2017 की अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर-2017 की दरों तथा जो दरे अनुसूची दरों में उपलब्ध नही है,उन्हें वर्तमान बाजार दरों के आधार पर किया गया है । प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण इसी के आधार पर किया गया है ।

(12) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित जी0एस0टी0 की लागत को फिलहाल अनुमन्य नही किया गया है,जो नियमानुसार एवं वास्तविकता के आधार पर देय होगी। इस हेतु प्रायोजना के पुन परीक्षण की आवश्यकता नही होगी ।

(13) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाय ।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ताविक कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-203-रोजगार -03-अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानकी स्थापना-24 वृहद् निर्माण कार्य नामें डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11- 1254 /दस-2018, दिनांक 05 नवम्बर 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव

<u>संख्या-3499(1)/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद
3- सम्बंधित जिलाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ
4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- सम्बंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(द्वारा निदेशक)
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश,125,जवाहर, भवन,लखनऊा
9- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in